तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 225/2022 GCMS NO. 2022/640 **उनवानी मेवा देवी बनाम चिरंजी आदि** **अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955**	
22.07.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादिया को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादिया हाजिर आये। अधिवक्ता वादिया को सुना गया। पत्रावली की मय आदेशिकाओ का अवलोकन करने पर पाया कि वादिया को प्रतिवादीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादिया ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादिया को प्रतिवादीगण की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादिया का वाद तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (सविता शर्मा) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	